

चाईलड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना कर्मांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	79	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएँ तथा संस्थाएँ	विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएँ संचालित हैं। 1. दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण 2. भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना 3. शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था 4. आकस्मिक सुविधा के रूप में सभी संस्थाओं को दूरभाष एवं प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराये गये हैं। 5. राज्य में प्राथमिक स्तर से 10+2 तक की विशेष शिक्षा व्यवस्था की गई है ।	238012	273500	1246
2.	3921	निःशक्तजनों की सहायता के लिए योजना	निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना	52000	60000	14000
3.	75	अंध मूक बधिरों को वृत्तियाँ	(प्राथमिक स्तर रु. 50, माध्यमिक स्तर रु. 60, उच्चतर माध्यमिक स्तर 70, स्नातक स्तर रु. 125, स्नातकोत्तर स्तर रु. 170 प्रति छात्र प्रतिमाह)	25800	25800	8090